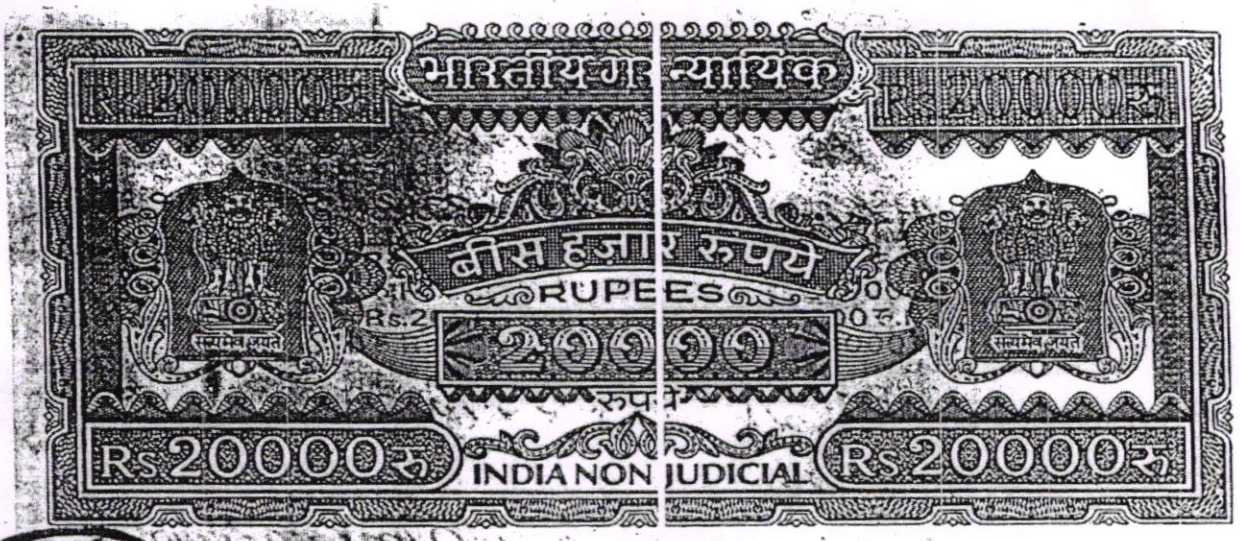

॥ श्री ॥

MADHYA PRADESH 080988

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश 2004 क्रमांक 2 सन 2004 भोपाल दिनांक 1[illegible].9.2004 के अनुसार इस विलेख द्वारा अंतरित की जा रही सम्पत्ति में क्रेता महिला द्वारा क्रय की जा रही होने से इस सम्पत्ति के मुल्यांकन पर 6 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क प्रभारित किया है।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

स्टाम्प शुल्क रु.	66000.00	बाजार मूल्य रु. 11,00,000/
पंचायत शुल्क रु.	11000.00	व्यय मूल्य रु. 11,00,000/
उपकर शुल्क रु.	3300.00	क्र.पु.क्र. 87535 — 124641
अति. रु.	200.00	प.ह.न.26 पुराना तथा नया
		न. तहसील महू 118 7584
रुपये	80500.00	जिला इन्दौर
		ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत

विक्रय पत्र

1.श्री मोहम्मद हुसैन मीर (एम.एच.मीर) पिता श्री ए.एच.मीर आयु 60 वर्ष (Pan.No.ADOPM 8750 A) निवासी एन-8 अनुप नगर इन्दौर म.प्र.

2.श्रीमती गर्टरूड ओलगा पिता डॉ.श्री सेम्युल रोनाल्ड आयु 55 वर्ष (Pan.No.AACPO 9197 Q) निवासी 224 कटकटपुरा इन्दौर म.प्र.

*** विक्रेतापक्ष

— 2 —

Madhu Jain

Gertrud

Saila Jain

Saila Jain

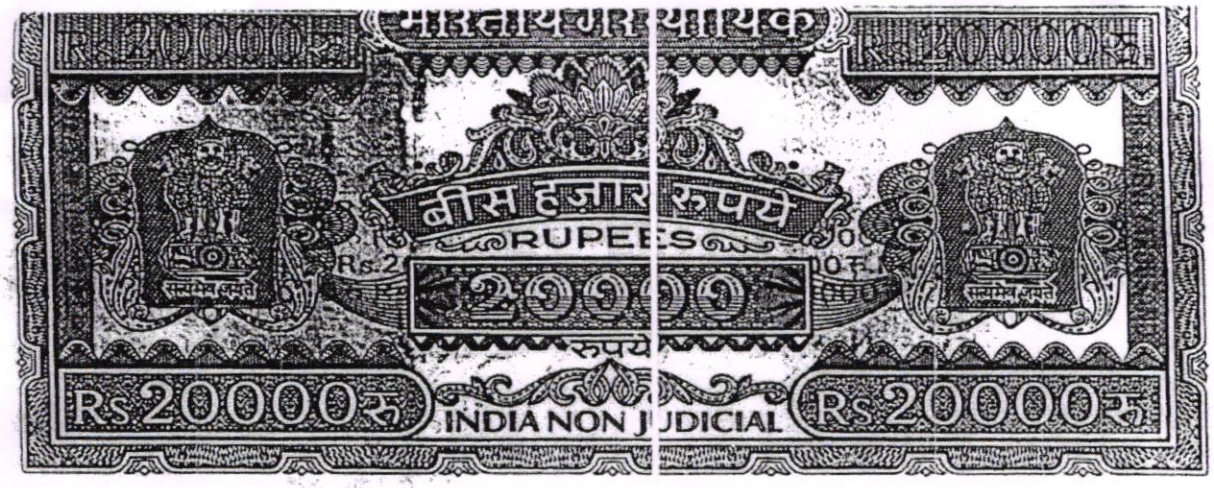

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हज़ार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 080989

1. श्रीमती सरलादेवी पति श्री अशोक कुमार जैन
आयु 46 वर्ष (Pan.No.ABOPJ 9578 P)
2. श्रीमती मधु पति श्री सुभाष जैन आयु 42 वर्ष
(Pan.No.ABCPJ 8576 F)
दोनो निवासी बी.जी.236 योजना क्रमांक 54
विजय नगर इन्दौर म.प्र.

*** क्रेतापक्ष

विक्रेता पक्ष - क्रेतापक्ष के हित में (इस सबोधन में विक्रेतापक्ष क्रेतापक्ष दोनो स्वयं तथा उनके समस्त वारसान, उत्तराधिकारी, वैधप्रतिनिधि असाईनिज आदि का समावेश है) यह विक्रय पत्र प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त कर निम्नानुसार निष्पादित कर रही है कि:-

1. यह कि, विक्रेतापक्ष क्रमांक एक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषिभूमि ग्राम सिमरोल तहसील महू जिला इन्दौर के पटवारी हल्का न.26 में सर्वे क्रमांक 374/1, 377/2 एवं 378/2 में स्थित है। इस भूमि का रकबा क्रमशः 0.356+0.550+0.024= 0.930 हेक्टर होकर इसका भू राजस्व रुपये 0.96+2.76+0.74=4.32 पैसे है। यह भूमि विक्रेतापक्ष क्रमांक एक ने पंजीबद्ध विक्रय लेख क्रमांक 1अ/4133 दिनांक 20.11.1989 के द्वारा श्री मोहन ठाकुरदास चंदानी से क्रय की है।

Madhu Jain

Sarla Jain

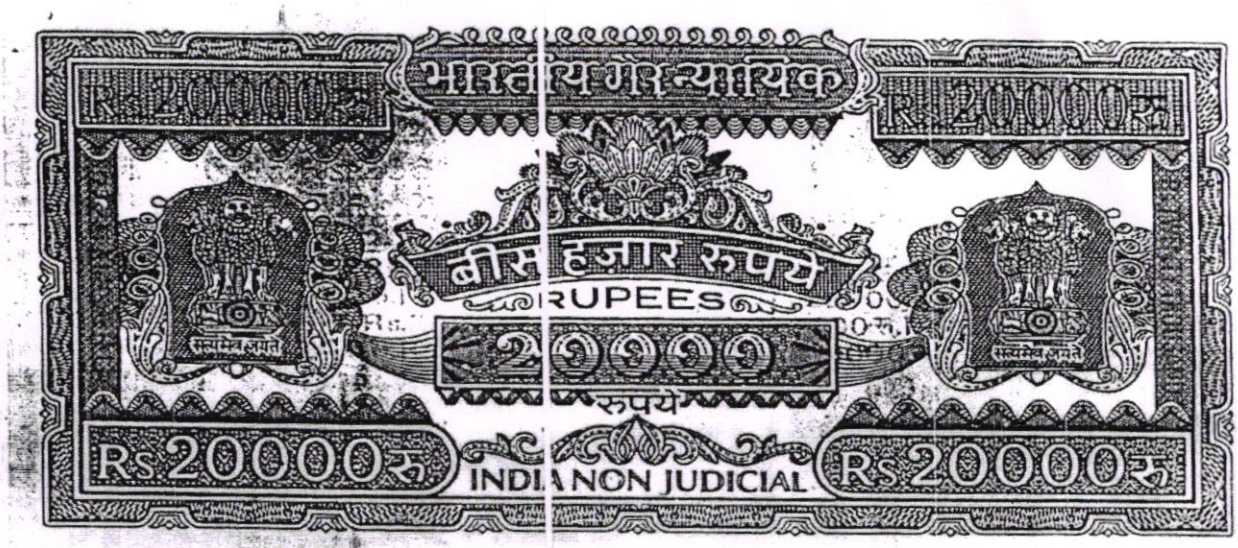

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 080990

जिस अनुसार यह भूमि विक्रेतापक्ष क्रमांक एक के एकमेव स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर समस्त राजस्व अभिलेखो मे विक्रेतापक्ष क्रमांक एक के नाम स्वामित्वधारी नाते मे अंकित है। इस भूमि से संबंधित भू अधिकार पुस्तिका क्रमांक 87534 है।

2. यह कि, विक्रेतापक्ष क्रमांक दो के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषिभूमि ग्राम सिमरोल तहसील महू जिला इन्दौर के पटवारी हल्का नं.26 मे सर्वे क्रमांक 375, 376, 384, 378/1, 377/1 मे स्थित है। इस भूमि का रकबा क्रमशः 0.510+0.555+0.506+0.081+0.413= 2.065 हेक्टर होकर इसका भू राजस्व रुपये 3.77 + 2.25 + 3.07 + 2.37 + 2.06=13 52 पैसे है। इस भूमि मे से सर्वे क्रमांक 375 एवं 376 की भूमि विक्रेतापक्ष क्रमांक दो ने पंजीकृत विक्रय लेख क्रमांक 1अ/1101 दिनांक 11.2.1988 के द्वारा श्रीमती कविता मोहन चवानी से तथा सर्वे क्रमांक 384,378/1,377/1 की भूमि विक्रेतापक्ष क्रमांक दो ने पंजीकृत विक्रय लेख क्रमांक 1अ/755 गुल्या. विनक दिनांक 06.09.1991 के द्वारा [illegible] लछमन रूपाजी से क्रय की है। जिस अनुसार यह भूमि विक्रेतापक्ष क्रमांक दो के एकमेव स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर समस्त राजस्व अभिलेखो मे विक्रेतापक्ष क्रमांक दो के नाम स्वामित्वधारी नाते मे अंकित है। यह भूमि एक फसली असिंचित भूमि होकर इस भूमि से संबंधित भू अधिकार पुस्तिका क्रमांक 87535 एवं 124641 है।

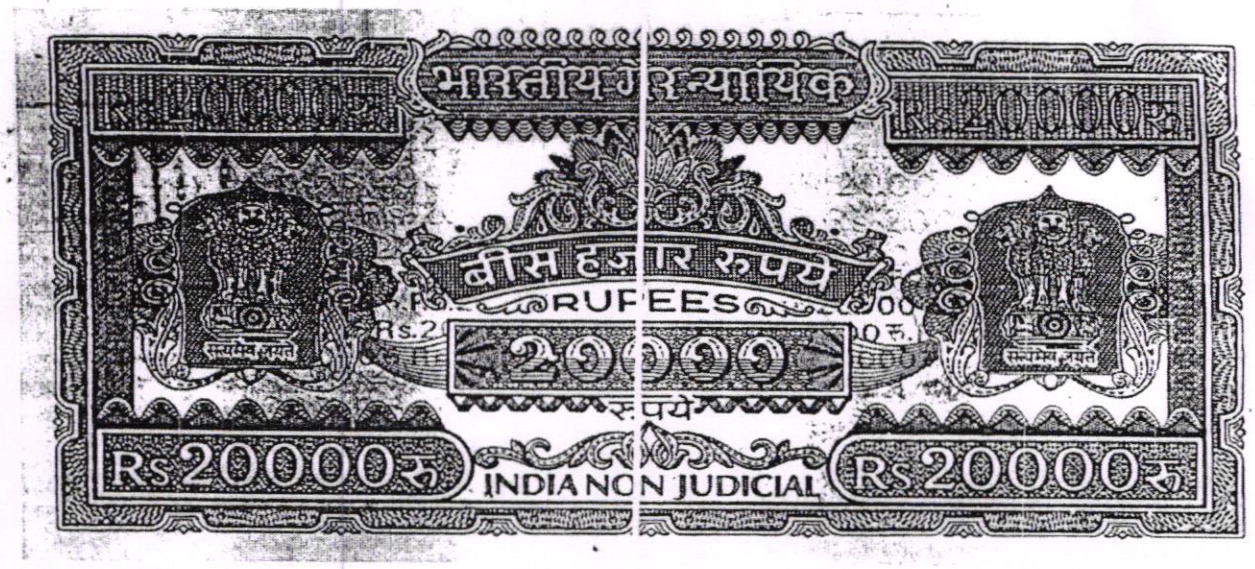

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

070001

3. यह कि, उक्त चरण एक एवं दो में उल्लेखित दोनो भूमियों का संयुक्त विवरण निम्नानुसार है:-

सर्वे क्रमांक	रकबा हेक्टर में	एकड़ में	लगान
374/1,	0.356	0.88	0.96
377/2	0.550	1.36	2.76
378/2	0.024	0.06	0.74
375	0.510	1.26	3.77
376	0.555	1.37	2.25
384	0.506	1.25	3.07
378/1	0.081	0.20	2.37
377/1	0.413	1.02	2.06
8	2.995	7.40	17.98

उक्त वर्णित भूमि के 30x30-900 वर्गफीट भाग पर एक दो मंजिला पक्का भवन तथा पशु डैरी के उपयोग हेतु 40x30-1200 वर्गफीट का एक मकान निर्मित है तथा इस भूमि पर 5 आम के पेड़ एवं 3 जाम के पेड़ व 3 नीम के पेड़ लगे है जो कि इस विक्रय व्यवहार एवं अन्तरण में सम्मिलित है।

-- 5 --

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

2153

4. यह कि, उक्त चरण तीन मे उल्लेखित भूमि विक्रेता पक्ष क्रमांक एक एवं दो ने संयुक्त रुप से क्रेतापक्ष को सब मालकी हक्क सहित तथा भूमि पर लगी समस्त स्थायी एवं अस्थायी लगावट सहित कीमत रुपये 11,00,000.00 रुपये ग्यारह लाख मात्र में विक्रय कर दी होकर विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि विक्रेता पक्ष ने क्रेतापक्ष से निम्नानुसार प्राप्त की है:

रुपये 2,00,000.00 रुपये दो लाख मात्र [illegible] को क्रेतापक्ष से चेक क्रमांक 134746 दिनांक 10.2.2006 आय सी आय सी आय बैंक लिमि. शाखा इन्दौर के माध्यम से प्राप्त.

रुपये 2,00,000 00 रुपये दो लाख मात्र विक्रेतापक्ष को क्रेतापक्ष से चेक क्रमांक 790786 दिनांक 10.2.2006 इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा इन्दौर के माध्यम से प्राप्त. [illegible] बैंक लिमि. शाखा इन्दौर के माध्यम से प्राप्त.

— 6 —

रुपये 2,00,000.00 रुपये दो लाख मात्र विक्रेतापक्ष को क्रेतापक्ष से चेक क्रमांक 124832 दिनांक 10.2.2006 यू टी आय बैंक लिमि. शाखा इन्दौर के माध्यम से प्राप्त.

रुपये 70,000.00 रुपये सत्तर हजार विक्रेतापक्ष को क्रेतापक्ष से चेक क्रमांक 134747 दिनांक 23.2.2006 आय सी आय सी आय बैंक लिमि. शाखा इन्दौर के माध्यम से प्राप्त.

रुपये 70,000.00 रुपये सत्तर हजार मात्र विक्रेतापक्ष को क्रेतापक्ष से चेक क्रमांक 790787 दिनांक 28.2.2006 इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा इन्दौर के माध्यम से प्राप्त. बैंक लिमि. शाखा इन्दौर के माध्यम से प्राप्त.

रुपये 60,000.00 रुपये साठ हजार मात्र विक्रेतापक्ष को क्रेतापक्ष से चेक क्रमांक 124833 दिनांक 28.2.2006 यू टी आय बैंक लिमि. शाखा इन्दौर के माध्यम से प्राप्त.

रुपये 1,00,000.00 रुपये एक लाख मात्र विक्रेतापक्ष को क्रेतापक्ष से चेक क्रमांक 628006 दिनांक 28.3.2006 आय सी आय सी आय बैंक लिमि. शाखा इन्दौर के माध्यम से प्राप्त.

रुपये 1,00,000.00 रुपये एक लाख मात्र विक्रेतापक्ष को क्रेतापक्ष से चेक क्रमांक 790788 दिनांक 28.3.2006 इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा इन्दौर के माध्यम से प्राप्त. बैंक लिमि. शाखा इन्दौर के माध्यम से प्राप्त.

— 7

Madhu Jain

Sarla Jain

xx(a)A- Subsidary Rule 19 and 22 under Treasury Rule 10

Challan of money paid into the .... treasury

To be present at the treasury Single or Dup. or Triplicate as case may be

(खजाने में इसको एक या दो तीन नकल जैसा कायदा हो पेश करना चाहिए)

By whom brought कौन लाया	On what account किस बाबद	under rupees in words	Amount Rs. P.
[illegible handwriting]	[illegible handwriting] 31/06-07		2,52,526/-
		TOTAL मीजान	2,52,526

Head of revenue 0030 Stamp & Registration Major head Non Judicial Stamp Detailed head Stamp Duty & Penalty	Details Notes Cash Total	

Certified that the amount shown above has been entered in the departmental register of the head of revenue

Date

Departmental Officer

Signature of Tenderer

READER TO COLLECTOR OF STAMPS DISTRICT INDORE

FOR USE IN TREASURY ONLY (खजाने में इस्तेमाल करने के लिए)

Examined	RECEIVED Rs.(in figures) 2,52,526/-	Entered No.
Initials of	Rs.(in words) [illegible]	Signature of
Accountant	Signature of Treasurer	Accountant

DATE TREASURY OFFICER SEAL

Sarda [illegible]

1,00,000.00 रुपये एक लाख मात्र विक्रेतापक्ष को
क्रेतापक्ष से चेक क्रमांक 124834 दिनांक
28.3.2006 यू टी आय बैंक
लिमि. शाखा इन्दौर के माध्यम से प्राप्त.

रुपये 11,00,000.00 रुपये ग्यारह लाख मात्र प्राप्त.

उपरोक्तानुसार विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि विक्रेता पक्ष क्रमांक एक एवं दो ने क्रेता पक्ष से प्राप्त कर ली है तथा अब इस विक्रय व्यवहार एवं प्रतिफल बाबत कोई राशि क्रेता पक्ष से लेना देना शेष नहीं है ।

3. यह कि, उक्त चरण एक में वर्णित भूमि को इस लेख में सुविधा एवं संक्षिप्तता की दृष्टि से "उक्त सम्पत्ति शब्द से सबोधित किया गया है जिसका आशय विक्रय की जा रही भूमि से है ।

4. यह कि, उक्त सम्पत्ति का रिक्त एवं मुतिमत कब्जा विक्रेता पक्ष ने आज दिनांक को साक्षीपक्ष के समक्ष समस्त मूल दस्तावेजों सहित सौंप दिया होकर मौके पर नीपत करवा दी है ।

5. यह कि, उक्त सम्पत्ति विक्रेता पक्ष के एकमेव स्वामित्व एवं आधिपत्य की है इस सम्पत्ति को विक्रय करने एवं प्रतिफल राशि प्राप्त कर यह विक्रय लेख क्रेता पक्ष के हित में निष्पादित कर देने का पूर्ण एवं वैधानिक अधिकार प्राप्त है ।

6. यह कि, विक्रेता पक्ष एतद् द्वारा घोषित एवं निश्चित करते है कि उक्त सम्पत्ति उनके द्वारा इस विक्रय से पूर्व तथा आज क्रेता पक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को दान, गिरवी, बिक्री, रहन, जमानत आदि रीति से या अन्य किसी भी रीति से अंतरित या हस्तान्तरित की हुई नहीं है और न ही विक्रेता पक्ष द्वारा ऐसे किसी लिखतम या मौखिक वचन या पारिवारिक व्यवस्था पत्र आदि का निष्पादन किया है ।

Madhu Jain
Sarla Jain

7. यह कि, विक्रेता पक्ष यह भी घोषित एवं निश्चित करते हैं कि उक्त भूमि किसी भी प्रकार की शासकीय, अशासकीय योजना आदि में समाविष्ठ नहीं है तथा न ही यह भूमि किसी भी प्रकार के अधिग्रहण के लिये प्रस्तावित है इस भूमि के अधिग्रहण बाबद कोई सूचना पत्र आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

8. यह कि, उक्त सम्पत्ति के लिये वर्तमान में किसी भी प्रकार का पारिवारिक या न्यायीक विवाद आदि लंबित नहीं है और न ही उक्त सम्पत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति या संस्था का हक्क अधिकार स्वत्व आदि है । इस भूमि पर किसी भी वित्तीय निकाय भूमि विकास बैंक, साख संस्था आदि का किसी भी प्रकार का ऋण भार बोझ आदि नहीं है। उक्त सम्पत्ति समस्त प्रकार के भार, बोझ व अन्तरण आदि से मुक्त है ।

9. यह कि, उक्त सम्पत्ति के लिये विक्रेता पक्ष के स्वामित्व बाबद जो हक्क, अधिकार, स्वत्व, आगम, आदि विक्रेता एवं उनके उत्तराधिकारीयों में निहित है वे समस्त हक्क, अधिकार, स्वत्व, आगम आदि इस लेख के द्वारा आप क्रेता पक्ष में वेष्ठित हो गए हैं अब आप क्रेता पक्ष उक्त सम्पत्ति का स्वेच्छानुसार उपयोग उपभोग व अन्तरण आदि कर सकेंगे इसमें विक्रेता पक्ष या उनके [illegible] की किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं रहेगी ।

10. यह कि, उक्त सम्पत्ति के लिय विक्रेता पक्ष के स्वामित्व बाबद किसी भी प्रकार का विवाद या दोष इस विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक से पूर्व के लिये, तथा भविष्य में भी पाया गया या इस सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति या संस्था ने अपना हक्क अधिकार सिद्ध किया या इस विक्रय व्यवहार में किसी भी प्रकार की आपत्ति की तो उसके निराकरण का सम्पूर्ण एवं सव्यय दायित्व विक्रेता पक्ष का रहेगा इस कारण से आप क्रेता पक्ष को किसी भी प्रकार का खर्च या नुकसानी नहीं लगने देंगे तथा आपत्ति कर्ता के हस्ताक्षर एव सहमति करवाने का दायित्व विक्रेता पक्ष का रहेगा ।

Madhu Jain

Sarla Jain

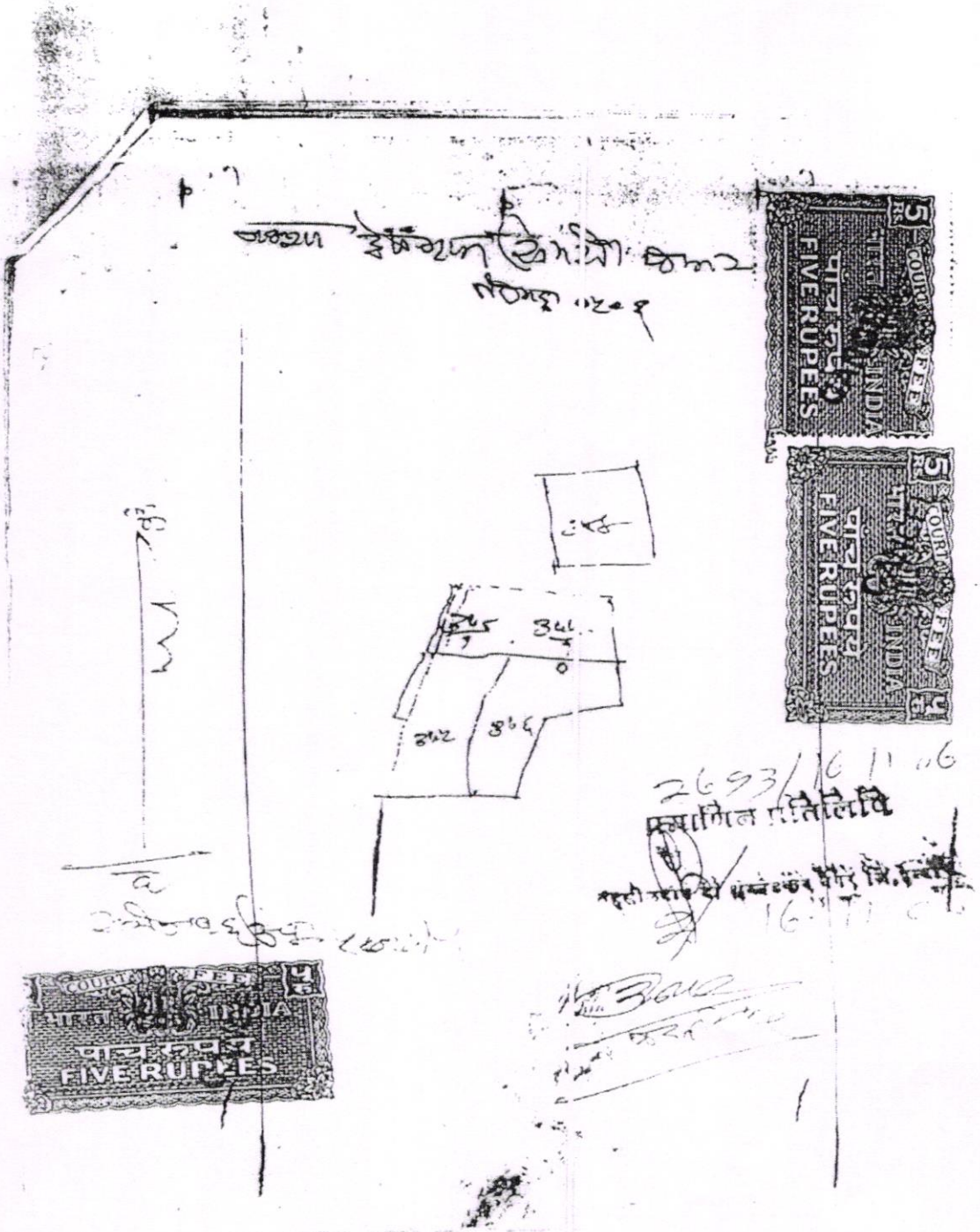

COURT FEE
INDIA
FIVE RUPEES
COURT FEE
INDIA
FIVE RUPEES
COURT FEE
INDIA
FIVE RUPEES
2693/16.11.06
प्रमाणित प्रतिलिपि

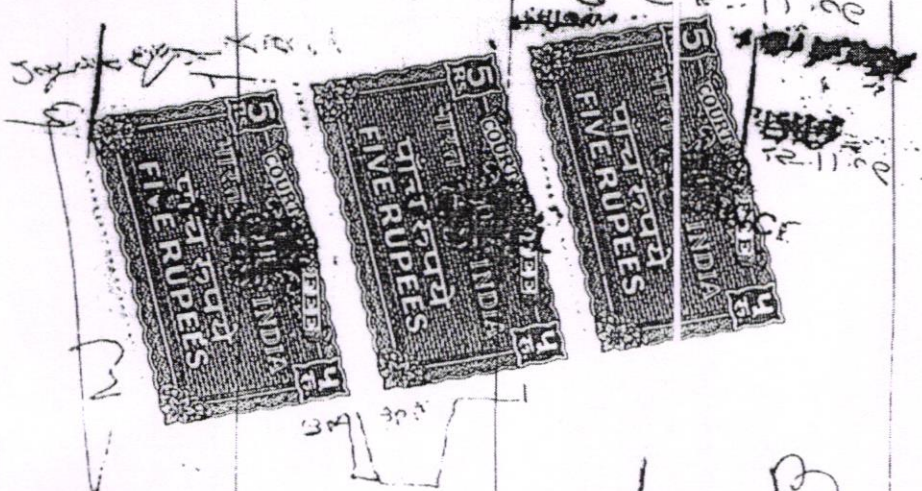

854
10 AUG 2007

11. यह कि, उक्त सम्पत्ति के लिये देय समस्त टेक्सेस, अन्य दायित्व विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक तक विक्रेता पक्ष वहन करेगें तथा विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक से उक्त दायित्व क्रेता पक्ष वहन करेगें ।

12. यह कि, उक्त सम्पत्ति के लिये क्रेता पक्ष स्वयं के व्यय से अपना नामान्तरण संबंधित विभाग व अभिलेख में करवा सकेंगे तथा इस कार्यवाही में विक्रेता पक्ष अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगें ।

13. यह कि उक्त सम्पत्ति अन्तरण से वर्तमान में प्रचलित किसी भी विधान या प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता है।

14. यह कि इस विक्रय लेख में हाथ से काटे एवं जोड़े गये अंशों को क्रमांक एक से लगाकर ... तक हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है।

उपरोक्तानुसार यह विक्रय पत्र विक्रेता पक्ष ने पढ़कर, समझ कर, स्वेच्छा से शरीर व मन की पूर्ण स्वस्थ हालत में साक्षीगण के समक्ष अपने हस्ताक्षर से निष्पादित कर दिया सो सही आवश्यकता पर काम आवे।

इति इन्दौर दिनांक 11.12.2006

साक्षीगण:-

1.

नाम रवि कर्मा S/O भगवानदास कर्मा

पता 203 शैलेन्द्र विला रेसकोर्स रोड इन्दौर

2.

नाम गणेश चौधरी S/O बाबूसिंह चौधरी

पता B 183 एम.आय.जी. इन्दौर

हस्ताक्षर विक्रेतापक्ष क्रमांक एक

हस्ताक्षर विक्रेतापक्ष क्रमांक दो

हस्ताक्षर क्रेतापक्ष क्रमांक एक

Saila Jain

हस्ताक्षर क्रेतापक्ष क्रमांक दो

Madhu Jain

उभय पक्षों के द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर यह विक्रय लेख मेरे द्वारा प्रारूपित किया गया।

एडव्होकेट

(सुरेन्द्र पाठक)